# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
## पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—12/2022 (2022/68) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भैरूसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—रतनसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—शंभुसिंह पिता धनसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—गोवर्धनसिंह पिता धनसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—ढक्कनसिंह पिता अभयसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—नारायणसिंह पिता केसरसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—सुमेरसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—भगवतसिंह पिता गोवर्धनसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—स्वरूपसिंह पिता गोवर्धनसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—22.02.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व भाईयों की शामलाती खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम बागड़ पटवार हल्का बागड तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में अंकित आ.सं. 744 रकबा 0.33 हैक्ट, आ.सं. 745 रकबा 0.33 हैक्ट, आ.सं. 746 रकबा 0.05 हैक्ट, आ.सं. 748 रकबा 0.05 हैक्ट, आ.सं. 749 रकबा 0.42 हैक्ट भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। उक्त आराजियात का प्रार्थीगण व उनके भाईयो के मध्य वर्षो से सहमति से विभाजन हो गया है तथा उक्त आराजियात प्रार्थीगण के हिस्से में आई हैं। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी व नक्शाट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में अंकित प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र विद्यमान रास्ता सरकारी बिलानाम टुंगच जाने वाले रास्ते से लगती हुई विपक्षीगण की आ.सं. 742 की दक्षिणी पाली पर 50 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा, आ.सं. 743 की पश्चिमी पाली पर 36 मीटर लंबा व 4 मीटर चौड़ा, आ.सं. 738 की पूर्वी पाली पर 20 मीटर लंबा व 4 मीटर चौड़ा रास्ता होकर प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में जाता हैं, जिससे प्रार्थीगण अपने खेतो में वर्षों से इसी रास्ते से आवागमन कर अपने खेतों में फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहे हैं तथा इसी रास्ते से अपने संसाधन, ट्रैक्टर आदि लेकर जाते हैं तथा खाद आदि डालते आ रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ता अत्यंत आवश्यकता का रास्ता हैं। प्रार्थीगण के विद्यमान कदीमी रास्ते को राजस्व नक्शे में सुविधा की दृष्टि से गुलाबी स्याही से दर्शाया गया हैं। प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का रास्ता मौके पर चालु हैं तथा पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.03.10 11:41:22 IST
Reason: SelfAttested

उक्त कृषि आराजियात में आवागमन के लिए धारा 251ए आर.टी.एक्ट का प्रार्थनापत्र पेश किया था जिसके प्रकरण संख्या 3/13 होकर उसमें माननीय न्यायालय दिनांक 12.7.2016 को निर्णय पारित किया गया जिसमें प्रार्थीगण को विपक्षीगण की आ.सं. 759, 743, 748 में रास्ता दिया गया परंतु उसकी अपील विपक्षीगण द्वारा कर देने से प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य दिनांक 20.12.2021 को राजीनामा हुआ जिसके मुताबिक विपक्षीगण की आ.सं. 742, 743, 738 से रास्ता देना तय हुआ व विपक्षीगण द्वारा अपील विड्रो की गई। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में विपक्षीगण भी सहमत हैं। राजीनामा की प्रति साथ पेश हैं। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमी में आवागमन के उक्त विपक्षीगण की आ.सं. 742 की दक्षिणी पाली पर 50 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा, आ.सं. 743 की पश्चिम पाली पर 36 मीटर लंबा व 4 मीटर चौड़ा, आ.सं. 738 की पूर्वी पाली पर 20 मीटर लंबा व 4 मीटर चौड़ा स्थित रास्ता को स्थाई रूप से राजस्व रेकॉर्ड बिलानाम रास्ता दर्ज करवाना न्यायोचित हो गया हैं। प्रार्थीगण रास्ते के रूप उपयोग आने वाली भूमि की डीएलसी दर से राशि विपक्षीगण को देने को तैयार है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम बागड़ की उक्त वर्णित आराजियात में आवागमन का रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 742 की दक्षिणी पाली पर 50 मीटर लम्बा 4 मीटर चौड़ा आराजी संख्या 743 की पश्चिमी पाली पर 36 मीटर लम्बा 4 मीटर चोड़ा, आराजी संख्या 738 की पूर्वी पाली पर 20 मीटर लम्बा 4 मीटर चौड़ा बिलानाम सरकारी गै.मु. सरकारी रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे एवं रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की डीएलसी दर से नियमानुसार राशि विपक्षीगण को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को सूचित करने पर विपक्षीगण उपस्थित होकर जवाब के रूप में प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते में कोई आपत्ति नही कर सहमति व्यक्त की गई साथ ही यह भी निवेदन किया कि इसी न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 3/2013 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए के तहत् दिनांक 12.07.2016 को निर्णय पारित किया गया उस निर्णय में वर्णित आराजियात व रकबे में आंशिक संशोधन करते हुए दोनो पक्षो की सहमति से नवीन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पूर्व निर्णित प्रकरण के आदेश का आंशिक समावेश इस प्रकरण के निर्णय में करते हुए निर्णय पारित करे विपक्षीगणो को रास्ता देने में कोई आपत्ति नही है। मौके पर प्रार्थीगण को आपसी सहमति से रास्ता दिया गया है जो चालु है। इसी आधार पर विपक्षीगणो द्वारा पत्रावली से भी सहमति से हस्ताक्षर किये गये।

## उभयपक्ष को सुना

प्रार्थीगण के द्वारा भी प्रकरण में धारा 251ए के प्रार्थना पत्र के अलावा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का और पेश किया कि न्यायालय [illegible] प्रकरण 3/2013 में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2016 की पालना नही [illegible] दोनो [illegible] सहमति से जो नवीन प्रार्थना पत्र पेश है उस आदेश का समावेश करते हुए [illegible] पारित [illegible] जिसमे प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही होकर प्रार्थीगण सहमत है।

विपक्षीगण द्वारा भी इसी बात को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.03.10 11:41:22 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा उभयपक्ष पक्षकारान को सुनने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात मे चाहे गये रास्ते के रकबे अनुसार रास्ता देने में कोई आपत्ति नही है। और दोनो पक्षो के द्वारा आपसी सहमति से मौके पर रास्ता खोल भी दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

## आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बागड़ तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 742 की दक्षिणी पाली पर 50 मीटर लम्बा 4 मीटर चौड़ा यानि 200 वर्गमीटर भूमि, आराजी संख्या 743 की पश्चिमी पाली पर 36 मीटर लम्बा 4 मीटर चोड़ा यानि 144 वर्गमीटर भूमि, आराजी संख्या 738 की पूर्वी पाली पर 20 मीटर लम्बा 4 मीटर चौड़ा यानि 80 वर्गमीटर कुल किता 3 कुल रकबा 424 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 448071/—रूपये प्रति हेक्टयर से 19000/—रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 38000/—रूपये मुआवजा राशि बनती है उक्त राशि का प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को भुगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। इसी न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 03/2013 रूपसिंह बनाम नारायणसिंह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए निर्णय दिनांक 12.07.2016 में वर्णित सम्पूर्ण आराजियात में प्रार्थीगण द्वारा रास्ता नही चाहे जाने पर दोनो पक्षो की सहमति से उपरोक्त अनुसार आराजियात मे रास्ता दिया जाने से प्रकरण 3/2013 में हुए निर्णय दिनांक की पालना नही की जावे एवं निर्णय 12.07.2016 की पालना में प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को भुगतान योग्य राशि का समावेश इस प्रकरण में किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.02.2022
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.03.10 11:41:22 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—12/2022 (2022/68) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भैरूसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—रतनसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—शंभुसिंह पिता धनसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—गोवर्धनसिंह पिता धनसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—ढक्कनसिंह पिता अभयसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—नारायणसिंह पिता केसरसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—सुमेरसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—भगवतसिंह पिता गोवर्धनसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—स्वरूपसिंह पिता गोवर्धनसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

## प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बागड़ तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 742 की दक्षिणी पाली पर 50 मीटर लम्बा 4 मीटर चौड़ा यानि 200 वर्गमीटर भूमि, आराजी संख्या 743 की पश्चिमी पाली पर 36 मीटर लम्बा 4 मीटर चोड़ा यानि 144 वर्गमीटर भूमि, आराजी संख्या 738 की पूर्वी पाली पर 20 मीटर लम्बा 4 मीटर चौड़ा यानि 80 वर्गमीटर कुल किता 3 कुल रकबा 424 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 448071/—रूपये प्रति हेक्टयर से 19000/—रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 38000/—रूपये मुआवजा राशि बनती है उक्त राशि का प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को भुगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। इसी न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 03/2013 रूपसिंह बनाम नारायणसिंह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए निर्णय दिनांक 12.07.2016 में वर्णित सम्पूर्ण आराजियात में प्रार्थीगण द्वारा रास्ता नही चाहे जाने पर दोनो पक्षो की सहमति से उपरोक्त अनुसार आराजियात मे रास्ता दिया जाने से प्रकरण 3/2013 में हुए निर्णय दिनांक की पालना नही की जावे एवं निर्णय 12.07.2016 की पालना में प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को भुगतान योग्य राशि का समावेश इस प्रकरण में किया जाता है।

हुक्मनामा आज दिनांक 22.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.03.10 11:41:22 IST
Reason: SelfAttested

22.02.2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर, (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—12/2022 (2022/68) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भैरूसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—रतनसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—शंभुसिंह पिता धनसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—गोवर्धनसिंह पिता धनसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—ढक्कनसिंह पिता अभयसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—नारायणसिंह पिता केसरसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—सुमेरसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—भगवतसिंह पिता गोवर्धनसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—स्वरूपसिंह पिता गोवर्धनसिंह राजपूत निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

## प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बागड़ तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 742 की दक्षिणी पाली पर 50 मीटर लम्बा 4 मीटर चौड़ा यानि 200 वर्गमीटर भूमि, आराजी संख्या 743 की पश्चिमी पाली पर 36 मीटर लम्बा 4 मीटर चोड़ा यानि 144 वर्गमीटर भूमि, आराजी संख्या 738 की पूर्वी पाली पर 20 मीटर लम्बा 4 मीटर चौड़ा यानि 80 वर्गमीटर कुल किता 3 कुल रकबा 424 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 448071/—रूपये प्रति हेक्टयर से 19000/—रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 38000/—रूपये मुआवजा राशि बनती है उक्त राशि का प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को भुगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। इसी न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 03/2013 रूपसिंह बनाम नारायणसिंह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए निर्णय दिनांक 12.07.2016 में वर्णित सम्पूर्ण आराजियात में प्रार्थीगण द्वारा रास्ता नही चाहे जाने पर दोनो पक्षो की सहमति से उपरोक्त अनुसार आराजियात मे रास्ता दिया जाने से प्रकरण 3/2013 में इस निर्णय दिनांक की पालना नही की जावे एवं निर्णय 12.07.2016 की पालना में प्रार्थी[illegible] विपक्षीगण को भुगतान योग्य राशि का समावेश इस प्रकरण में किया जाता है।

हुक्मनामा आज दिनांक 22.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.03.10 11:41:22 IST
Reason: SelfAttested

22.02.2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),
रायपुर, जिला भीलवाड़ा